

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

राधेश्याम साह, भा.प्र.से.
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

अपर निदेशक, यक्ष्मा प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण केन्द्र, दरभंगा।
सभी संबंधित अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी,
(संलग्न विवरणी के अनुसार)

पटना, दिनांक : 12-10-2018

विषय:- स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत मांग संख्या-20 अन्तर्गत मुख्य व्यय शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी-200-अन्य स्वास्थ्य योजनाएँ-0001-यक्ष्मा निरोध कार्यक्रम विपत्र कोड- 20-2210012000001 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-2019 में विभिन्न प्राथमिक ईकाईयों में कुल ₹12,49,21,500/- (बारह करोड़ उनचास लाख इक्कीस हजार पाँच सौ रु.) मात्र का अतिरिक्त आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित शीर्ष/उपशीर्ष/विपत्र कोड में विभागीय आवंटनादेश संख्या-11(7)ब दिनांक-14.6.18 एवं 43(7)ब दिनांक-03.10.18 के क्रम में संलग्न विवरणी के अनुसार वित्तीय वर्ष 2018-2019 में विभिन्न प्राथमिक ईकाईयों के लिए कुल ₹12,49,21,500/- (बारह करोड़ उनचास लाख इक्कीस हजार पाँच सौ रु.) मात्र का अतिरिक्त आवंटन दी जाती है (विवरणी संलग्न)।

2. सम्बंधित आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं0 2561 वि0 (2) दिनांक 17.4.98, परिपत्र 326वि0 दिनांक-2.04.2014 तथा 295वि0 दिनांक-04.03.15 में निहित निदेश के अनुसार व्यय सुनिश्चित किया जाय।

3. आवंटित राशि की निकासी मांग संख्या-20 अन्तर्गत व्यय शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी-200-अन्य स्वास्थ्य योजनाएँ-0001-यक्ष्मा निरोध कार्यक्रम विपत्र कोड- 20-2210012000001 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-2019 में आय व्ययक आयोजना भिन्न में उपबंधित राशि से किया जायेगा।

4. सामग्री एवं पूर्तियों के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित सिविल सर्जन होंगे तथा शेष इकाईयों के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अपर निदेशक, यक्ष्मा प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण केन्द्र, दरभंगा एवं संबंधित अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी होंगे तथा सभी के नियंत्री पदाधिकारी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी एक इकाई से दूसरी इकाई में या एक उपशीर्ष से दूसरे उपशीर्ष में अपने स्तर से राशि का विचलन नहीं करेंगे। इसमें किसी भी तरह की शिथिलता वांछनीय नहीं होगी। इसकी पूरी जबाबदेही संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

6. कई पदाधिकारियों/कर्मचारियों के बकाये वेतन का भुगतान नहीं हुआ है जिसके कारण माननीय उच्च न्यायालय के सामने भी कई मामले दायर किये गये हैं। माननीय उच्च न्यायालय ने ऐसे मामलों में यह आदेश पारित किया है कि विभाग देय बकाये वेतनादि का भुगतान शीघ्र करे। अतः यह आदेश दिया जाता है कि जिन पदाधिकारियों/कर्मचारियों का बकाया वेतन है वे शपथ पत्र के साथ अपना आवेदन सम्बंधित सिविल सर्जन/क्षेत्रीय अपर निदेशक/निदेशक प्रमुख को देंगे। सिविल सर्जन/क्षेत्रीय अपर निदेशक/निदेशक प्रमुख निम्नांकित बिन्दुओं पर आवेदन की जाँच कर बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे।


1. संबंधित पदाधिकारी/कर्मचारी विधिवत वहां पदस्थापित हैं।

2. विधिवत पदस्थापित होने का सत्यापन कर केवल उसी अवधि का वेतन का भुगतान किया जायेगा जिस अवधि में ये पदाधिकारी वास्तव में कार्य किये हों ।
3. जहाँ तक कर्मचारियों के बकाये वेतनादि के भुगतान का प्रश्न है सिविल सर्जन इस बात का सत्यापन कर लेंगे कि उक्त अवधि का भुगतान पूर्व में नहीं हुआ है ।

सिविल सर्जन / क्षेत्रीय अपर निदेशक/निदेशक प्रमुख उपरोक्त शर्तों से संतुष्ट होने पर इस आवंटनादेश से बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे । यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पुनरीक्षित वेतनमान के अन्तर राशि भी सिविल सर्जन सब तरह से संतुष्ट होकर कि, कितनी राशि देय है, का भुगतान इस आवंटन से कर सकते हैं ।

7. यह मात्र आवंटन आदेश है। इसे व्यय की स्वीकृति न समझा जाय। व्यय हेतु निर्धारित वित्त विभाग/ स्वास्थ्य विभाग की प्रक्रिया का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
8. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृति बल के विरुद्ध नियमानुकूल नियुक्त पदाधिकारी/कर्मचारी का ही वेतन भुगतान सुनिश्चित करेंगे तथा इस आशय का प्रमाण-पत्र वेतन विपत्र में भी अंकित करेंगे ।
9. क्रय सम्बंधी कार्य स्वास्थ्य विभागीय पत्रांक-96(9) दिनांक-18.02.99, 142(9) दिनांक- 15.03.2001, 241(9) दिनांक-21.05.2002 एवं 379(9) दिनांक-16.08.2002 तथा 73(9) दिनांक 28.1.06 के आलोक में सभी सरकारी औपचारिकताओं को पूरा करते हुए किया जायगा ।
10. आवंटित राशि से किए गए क्रय में निर्धारित विहित प्रक्रिया का पालन करने, उनका सदुपयोग सुनिश्चित करने का पूर्ण उत्तरदायित्व निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा ।
11. विद्युत विपत्र की राशि का भुगतान के क्रम में विपत्र पर यह भी प्रमाण पत्र अंकित किया जायगा कि इस विपत्र में किसी आवासीय परिसर के उपभोग में लाई गयी विद्युत की राशि सम्मिलित नहीं है।
12. संबंधित सिविल सर्जन एवं निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी से अनुरोध है कि विहित प्रपत्र में व्यय विवरणी टी0भी0 नं0 एवं तिथि के साथ प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे ।
13. इसकी प्रति महालेखाकार बिहार, पटना को भी दी जा रही है ।

विश्वासभाजन,



(राधेश्याम साह)

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक : 54 (7) 6

पटना, दिनांक : 12-10-18

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले0 एवं ह0) बिहार, पटना/वित्त विभाग बजट शाखा/ संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/ संबंधित जिला पदाधिकारी /संबंधित सिविल सर्जन/ संबंधित कोषागार पदाधिकारी/ संबंधित उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/ प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/ निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार के सचिव/ प्रशाखा पदाधिकारी-7 /आई0टी0मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना एवं कार्यवाह सहायक को पाँच अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ प्रेषित ।



सरकार के विशेष सचिव



वित्तीय वर्ष 2018-2019 में बिहार स्थित यक्ष्मा उपशीर्ष का वेतन भत्ता एवं अन्य मदों के लिए अतिरिक्त आवंटन

क्रम	जिला का नाम	वेतन (01-01)	जीवन यापन भत्ता (01-03)	मकान भत्ता (01-04)	परिवहन भत्ता (01-05)	विक्रिस्ता भत्ता (01-06)	अन्य भत्ता (01-07)	योग वेतन	कार्यालय व्यय (13-01)	दूरभाष (13-03)	विद्युत प्रभार (13-04)	विविध प्रभार (13-05)	वर्दी / पोषाक (13-06)	किराया महसूल एवं कर (14-01)	सामग्री एवं पुस्तिकाएँ (21-01)	कुल	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	अपर निदेशक, यक्ष्मा प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण केन्द्र, दरभंगा	6700000	938000	1005000	0	134000	335000	9112000	5000	5000	400000	5000	0	99500	10000	9636500	160/29.9.18
2	अपर मुख्य चि0पदा0, पटना	2000000	280000	300000	100000	60000	100000	2840000	0	0	0	0	0	0	0	2840000	
3	अपर मुख्य चि0पदा0, मोजपुर	2000000	280000	300000	0	60000	100000	2740000	0	0	0	0	0	0	0	2740000	
4	अपर मुख्य चि0पदा0, बक्सर	2000000	280000	300000	0	60000	100000	2740000	0	0	0	0	0	0	0	2740000	
5	अपर मुख्य चि0पदा0, रोहतास	1500000	210000	225000	0	45000	75000	2055000	0	0	0	0	0	0	0	2055000	
6	अपर मुख्य चि0पदा0, बक्सर	2000000	280000	300000	0	60000	100000	2740000	0	0	50000	0	0	0	0	2790000	2364/17.9.18
7	अपर मुख्य चि0पदा0, गोपालगंज	2000000	280000	300000	0	60000	100000	2740000	0	0	0	0	0	0	0	2740000	
8	अपर मुख्य चि0पदा0, कटिहार	5500000	770000	825000	0	165000	275000	7535000	0	0	0	0	0	0	0	7535000	114/12.9.18
9	अपर मुख्य चि0पदा0, पूर्णिया	5000000	700000	750000	0	150000	250000	6850000	0	0	0	0	0	0	0	6850000	338/18.9.18
10	अपर मुख्य चि0पदा0, मधुबनी	2000000	280000	300000	0	60000	100000	2740000	0	0	0	0	0	0	0	2740000	
11	अपर मुख्य चि0पदा0, दरभंगा	2000000	280000	300000	0	60000	100000	2740000	0	0	0	0	0	0	0	2740000	
12	अपर मुख्य चि0पदा0, सीतामढ़ी	2000000	280000	300000	0	60000	100000	2740000	0	0	0	0	0	0	0	2740000	
13	अपर मुख्य चि0पदा0, समस्तीपुर	2700000	378000	405000	0	81000	135000	3699000	0	0	0	0	0	0	0	3699000	607/25.9.18
14	अपर मुख्य चि0पदा0, जाहानाबाद	5800000	812000	870000	0	174000	290000	7946000	0	20000	0	5000	10000	0	0	7981000	76/13.9.18
15	अपर मुख्य चि0पदा0, कैमूर	2000000	280000	300000	0	60000	100000	2740000	0	0	0	0	0	0	0	2740000	
16	अपर मुख्य चि0पदा0, सहरसा	2000000	280000	300000	0	60000	100000	2740000	10000	0	0	0	10000	0	0	2760000	166/14.9.18
17	अपर मुख्य चि0पदा0, जमुई	2000000	280000	300000	0	60000	100000	2740000	0	0	0	0	0	0	0	2740000	
18	अपर मुख्य चि0पदा0, किशनगंज	2000000	280000	300000	0	60000	100000	2740000	0	0	0	0	0	0	0	2740000	
19	अपर मुख्य चि0पदा0, गया	2000000	280000	300000	0	60000	100000	2740000	0	0	0	0	0	0	0	2740000	
20	अपर मुख्य चि0पदा0, बेगूसराय	2000000	280000	300000	0	60000	100000	2740000	0	0	0	0	0	0	0	2740000	
21	अपर मुख्य चि0पदा0, मुंगेर	3000000	420000	450000	0	90000	150000	4110000	0	0	0	0	0	0	0	4110000	377/22.9.18
22	अपर मुख्य चि0पदा0, सधेपुरा	2000000	280000	300000	0	60000	100000	2740000	0	0	0	0	0	0	0	2740000	

54 (7) B
12-10-18

क्रम	जिला का नाम	वेतन	जीवन यापन भत्ता	भकान भत्ता	परिवहन भत्ता	चिकित्सा भत्ता	अन्य भत्ता	योग वेतन	कार्यालय व्यय	दूरभाष	विद्युत प्रभार	विशिष्ट प्रभार	वर्दी / पोशाक	क्रियाया महसूल एवं कर	सामग्री एवं प्रतिया	कुल	अनुमति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
23	अपर मुख्य वि०पदा०, मुजफ्फरपुर	5500000	770000	825000	0	165000	275000	7535000	0	0	0	0	0	0	0	7535000	306/13.9.18
24	अपर मुख्य वि०पदा०, सोनिहरी	2000000	280000	300000	0	60000	100000	2740000	0	0	0	0	0	0	0	2740000	
25	अपर मुख्य वि०पदा०, नवादा	2000000	280000	300000	0	60000	100000	2740000	0	0	0	0	0	0	0	2740000	
26	अपर मुख्य वि०पदा०, जालन्दा	7000000	980000	1050000	0	210000	350000	9590000	0	0	0	0	0	0	0	9590000	419/13.9.18
27	अपर मुख्य वि०पदा०, छपरा	3000000	420000	450000	0	90000	150000	4110000	0	0	0	0	0	0	0	4110000	
28	अपर मुख्य वि०पदा०, सिवान	2000000	280000	300000	0	60000	100000	2740000	0	0	0	0	0	0	0	2740000	
29	अपर मुख्य वि०पदा०, औरंगाबाद	1500000	210000	225000	0	45000	75000	2055000	0	0	0	0	0	0	0	2055000	
30	अपर मुख्य वि०पदा०, भागलपुर	1500000	210000	225000	0	45000	75000	2055000	0	0	0	0	0	0	0	2055000	
31	अपर मुख्य वि०पदा०, बाँका	1500000	210000	225000	0	45000	75000	2055000	0	0	0	0	0	0	0	2055000	
32	अपर मुख्य वि०पदा०, खगड़िया	1500000	210000	225000	0	45000	75000	2055000	0	0	0	0	0	0	0	2055000	
33	अपर मुख्य वि०पदा०, अररिया	1500000	210000	225000	0	45000	75000	2055000	0	0	0	0	0	0	0	2055000	
34	अपर मुख्य वि०पदा०, मुर्शीदा	1500000	210000	225000	0	45000	75000	2055000	0	0	0	0	0	0	0	2055000	
	कुल	90700000	12698000	13605000	100000	2654000	4535000	124292000	15000	25000	450000	10000	20000	99500	10000	124921500	

(बाह्र करोड़ उनचास लाख इक्कीस हजार पाँच सौ) रु. मात्र

सरकार के विशेष सचिव

54(B) द
R-10-18

⑤

⑤

उपबंध की स्थिति

क्रम	प्राथमिक इकाई एवं कोड	बजट उपबंध	पूर्व में आवंटित राशि	वर्तमान आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि	अवशेष राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	वेतन (0001-01-01)	485346000	292800000	907000000	383500000	101846000
2	जीवन यापन भत्ता (0001-01-03)	72442000	40992000	12698000	53690000	18752000
3	मकान किराया भत्ता (0001-01-04)	77271000	43920000	13605000	57525000	19746000
4	परिवहन भत्ता (0001-01-05)	5119000	3200000	1000000	3300000	1819000
5	चिकित्सा भत्ता (0001-01-06)	12924000	8049000	2654000	10703000	2221000
6	अन्य भत्ता (0001-01-07)	24147000	14640000	4535000	19175000	4972000
	योग 20-2210.01.200.0001.01 वेतन	677249000	403601000	124292000	527893000	149356000
7	चिकित्सा प्रतिपूर्ति (0001-06-01)	1000000	797539	0	797539	202461
8	यात्रा व्यय (0001-11-01)	250000	119000	0	119000	131000
9	कार्यालय व्यय (0001-13-01)	400000	228000	15000	243000	157000
10	वाहन का इंधन एवं रख रखाव (0001-13-02)	300000	152500	0	152500	147500
11	दूरभाष (0001-13-03)	200000	106000	25000	131000	69000
12	विद्युत प्रभार (0001-13-04)	5000000	4550000	450000	5000000	0
13	विधि प्रभार (0001-13-05)	300000	165000	10000	175000	125000
14	वर्दी/ पोषाक (0001-13-06)	200000	107500	20000	127500	72500
15	किराया महसूल एवं कर (0001-14-01)	200000	100500	99500	200000	0
15	प्रशिक्षण व्यय (0001-20-03)	3000000	0	0	0	3000000
16	सामग्री एवं पूर्तियाँ (0001-21-01)	400000	163000	10000	173000	227000
17	दवा भंडार (0001-21-02)	600000	0	0	0	600000
18	आहार/ पशु (0001-21-03)	600000	400000	0	400000	200000
19	लघु कार्य (0001-27-01)	1000	0	0	0	1000
20	सविदा सेवाएँ (0001-28-02)	500000	450000	0	450000	50000
19	मशीनें एवं उपस्कर (0001-52-01)	600000	0	0	0	600000
	कुल योग:-	690800000	410940039	124921500	535861539	154938461

54 (A) ब
12-10-18

Q. No. 10
सरकार के विशेष सचिव